



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

क्वा.नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतौजली नगर, रायपुर (छ.ग.) 492007

फोन:-0771-2444591 फैक्स:-4915858 ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाईट:- www.cspc.in

कमॉक/सी.जी./फार्मा/2020/3176

रायपुर, दिनांक

30/05/2020

:-सूचना :-

—: बिना विलम्ब शुल्क फार्मासिस्ट पंजीयन नवीनीकरण तिथि बढ़ाये जाने बावत:-

एतद् द्वारा फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया से प्राप्त सुझावों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल में पंजीकृत राज्य के समस्त फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों को सूचित किया जाता है कि जिन फार्मासिस्टों के पंजीयन की वैधता 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो चुकी है, उन फार्मासिस्टों के पंजीयन के नवीनीकरण हेतु बिना विलम्ब शुल्क के निर्धारित 31 मार्च की तिथि को वर्तमान में विभिन्न देशों में वैश्विक कोरोना वायरस के प्रभाव के मद्देनजर भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा एहतियातन उठाये जा रहे कदम के तहत बिना विलम्ब शुल्क के फार्मासिस्ट पंजीयन के नवीनीकरण की तिथि को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ायी जा रही है ।

अतएव 31 दिसम्बर, 2019 तक वैध पंजीकृत/नवीनीकृत राज्य के फार्मासिस्ट पंजीयन धारकों के पंजीयन का नवीनीकरण बिना विलम्ब शुल्क के 30 सितम्बर, 2020 तक निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा कर छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल द्वारा किया जावेगा ।

(डॉ० श्रीकान्त राजिमवाले)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)